अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति *सी. जी. सूरी,* के समक्ष

मामन राम और अन्य- *अपीलकर्ता*

बनाम

प्रबंध समिति श्री गौशाला, जींद और अन्य -
उत्तरदाता।

आदेश सं 1969 का 16 से दूसरी अपील।

3 फरवरी, 1970।

भारतीय शपथ अधिनियम (1873 का X) - धारा 8, 9, 10 और 11 - विरोधी पक्ष की शपथ का पालन करने की पेशकश करने वाले पक्ष के वकील - प्रस्ताव देने के लिए विशेष रूप से अधिकृत नहीं वकील - इस तरह की पेशकश - क्या वैध - प्रस्तावित शपथ के नियम और शर्तें - क्या सख्ती से पालन किया जाना चाहिए - मंदिर में शपथ लेने के लिए सहमत पक्ष - ऐसी शपथ - क्या मंदिर अधिकारियों की सहमति के बिना मंदिर में प्रशासित किया जा सकता है।

भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 की धारा 9 के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी पक्ष की ओर से एक वकील द्वारा शपथ का पालन करने की पेशकश की जाती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वकील को इस तरह की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए। यह पर्याप्त है यदि उन्हें अपने मुवक्किल की ओर से आम तौर पर मामले का संचालन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। एक वकील की सामान्य शक्ति में विपरीत पक्ष की शपथ पर मामले के निर्णय के लिए प्रस्ताव बनाने का अधिकार शामिल होगा। (पैरा 2)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की शपथ पर एक मामले के निर्णय का तरीका अपरंपरागत है, अगर आदिम नहीं है। किसी विशेष प्रकार की शपथ पर किसी मामले को निपटाने के इस तरीके की पवित्रता पार्टियों की सख्त धार्मिक मान्यताओं और विचारों पर निर्भर करती है। प्रस्तावित शपथ में थोड़ी भिन्नता यह भावना पैदा कर सकती है कि सच बोलने के दायित्व के पीछे धार्मिक स्वीकृति कमजोर हो गई है, इसलिए, ऐसे मामलों में यह देखना वांछनीय है कि स्नान से पहले एक पक्ष द्वारा प्रस्तावित और दूसरे द्वारा सहमत उक्त शपथ के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, जिसे धारा 11 के तहत बताए गए मामलों के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जा सके। (पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की मंदिर एक न्यायिक व्यक्ति है जो मुकदमे में कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं है। यदि पार्टियां मंदिर में प्रस्तावित शपथ लेने के लिए सहमत हैं, तो यह अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए, मंदिर के अधिकारियों की सहमति के बिना मंदिर में इस तरह की शपथ नहीं दिलाई जा सकती है।

(पैरा 3)

ग्रोवर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद के 17 दिसंबर, 1968 के आदेश से दूसरी अपील में जींद के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश श्री सालिग राम बख्शी के दिनांक 7 मार्च, 1968 के आदेश (वाद को खारिज करते हुए) को पलट दिया गया और गुण-दोष के आधार पर नए निर्णय के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया।

एस.पी. गोयल, वकील, अपीलकर्ताओं के लिए।
एल गोस्वामी, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

आदेश

माननीय न्यायमूर्ति *सी. जी. सूरी,* जींद के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 श्री मामन राम द्वारा ली गई शपथ के आधार पर गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री से 2,500 रुपये की वसूली के लिए दायर एक मुकदमे का निपटारा कर दिया । वादी के वकील ने शपथ की पेशकश की और प्रस्तावित शपथ को जींद के दीनानाथ मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष एक विशेष रूप में लिया जाना था। ट्रायल जज 5 मार्च को व्यक्तिगत रूप से मंदिर गए थे। 1S68 यह देखने के लिए कि शपथ ली गई थी या नहीं। मंदिर बंद पाया गया लेकिन भगवान कृष्ण की एक मूर्ति को कहीं से सुरक्षित कर लिया गया और पक्षकारों और ट्रायल जज की उपस्थिति में मामन राम, प्रतिवादी को शपथ दिलाई गई। 7 मार्च, 1968 को इस मामले में फैसला सुनाया जाना था और उसी तारीख को वादी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था कि मंदिर के अंदर एक विशिष्ट रूप में ली जाने वाली प्रस्तावित विशेष शपथ को प्रस्ताव के अनुसार सख्ती से नहीं लिया गया था और चूंकि पीठासीन अधिकारी को कार्यवाही में एक गवाह के रूप में पूछताछ की जानी थी। उसे मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए और वादी को जिला में जाने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन देना चाहिए। न्यायाधीश, रोहतक, अपने न्यायालय से मामले के हस्तांतरण के लिए। इस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और पीठासीन अधिकारी ने उसी दिन प्रतिवादी द्वारा ली गई शपथ के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया था।

(2) वादी अपील में गए और जींद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए भेज दिया। यह रिमांड आदेश है जिसे इस अपील में मामन राम, प्रतिवादी नंबर 1 और उनकी पत्नी श्रीमती जिवानी द्वारा चुनौती दी गई है, जिन्होंने अपने पति के साथ पंजीकृत बंधक विलेख को भी निष्पादित किया था। उन्हें इस मामले में प्रतिवादी के रूप में भी आरोपित किया गया था। वादी के वकील द्वारा 5 मार्च, 1968 को रास्ते के बारे में पेशकश की गई थी, लेकिन यह कहा गया था कि यह प्रस्ताव उनके मुवक्किलों के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था। वकील वादी की ओर से आसानी से संचालन करने के लिए अधिकृत था और उसके पास यह प्रस्ताव करने का निहित अधिकार था कि विवाद को इस तरह से हल किया जा सकता है। यह मथुरा प्रसाद और अन्य बनाम भारत में आयोजित किया गया था। सीता राम और अन्य (1), नारायण सिंह और अन्य बनाम हर बक्स सिंह और अन्य। वादी-प्रतिवादियों के वकील ने बंसीलाल बनाम बंसीलाल के मामले का हवाला दिया। जसराज), लेकिन उस मामले में वकील को वकालतनामा द्वारा स्पष्ट रूप से एक मुकदमे से समझौता करने या इसे मध्यस्थता में भेजने या भारतीय शपथ अधिनियम की धारा 9 के तहत पेशकश करने से रोक दिया गया था। वकील

(1) ए.आई.आर. 1940 अवध 314.
(2) ए.आई.आर. 1953 312.

का निहित अधिकार वकालतनामा के विशेष नियमों और शर्तों के कारण शपथ पर विवाद के निपटारे की पेशकश करने तक विस्तारित नहीं था। इसी तरह, पेथैया पिल्लई बनाम करुप्पैया नाडर और, अन्य (4), अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित शपथ को पार्टी के लिए बाध्यकारी नहीं माना गया क्योंकि प्रस्तावित शपथ इस आधार पर शपथ अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत थी कि यह तीसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। एक वकील की सामान्य शक्ति में हालांकि विपरीत पक्ष की शपथ पर मामले के फैसले के लिए प्रस्ताव बनाने का अधिकार शामिल होगा। मथुरा प्रसाद के मामले (1) में, यह देखा गया कि धारा 9 में "किसी भी न्यायिक कार्यवाही के लिए कोई भी पक्ष" शब्द की व्याख्या मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को शामिल करने के रूप में की जानी चाहिए। धारा 9 के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी पक्ष की ओर से एक वकील द्वारा शपथ का पालन करने की पेशकश की जाती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वकील को विशेष रूप से इस तरह की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। यह पर्याप्त है यदि उन्हें अपने मुवक्किल की ओर से आम तौर पर मामले का संचालन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। ऐसे वकील की कार्रवाई को इस आधार पर भी बरकरार रखा जा सकता है कि उसके पास मामले का संचालन करने का सामान्य अधिकार है। इसलिए मुझे वादी-प्रतिवादियों की आपत्ति में कोई बल नहीं दिखता है कि मामन राम प्रतिवादी की शपथ पर मामले के फैसले का प्रस्ताव विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था।

(3) हालांकि, यह कहा जाना चाहिए कि किसी मामले के निर्णय का यह तरीका अपरंपरागत है, अगर आदिम नहीं है। किसी विशेष प्रकार की शपथ पर किसी मामले को निपटाने के इस तरीके की पवित्रता पार्टियों की सख्त धार्मिक मान्यताओं और विचारों पर निर्भर करती है। प्रस्तावित शपथ में थोड़ी भिन्नता यह भावना पैदा कर सकती है कि सच बोलने के दायित्व के पीछे धार्मिक मंजूरी कमजोर हो गई है। यह है। इसलिए, ऐसे मामलों में यह देखना वांछनीय है कि शपथ से पहले एक पक्ष द्वारा प्रस्तावित और दूसरे द्वारा सहमत उक्त शपथ के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है, जिसे भारतीय शपथ अधिनियम की धारा 11 के तहत बताए गए मामलों के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। वर्तमान मामले में दीनानाथ मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने शपथ ली जानी थी। यह हो सकता है कि पार्टियों ने इसे विशेष पवित्रता प्रदान की हो।

---

(1) ए.आई.आर. 1940 अवध 314.
(2) ए.आई.आर. 1953 312.

विशेष मूर्ति और मंदिर का आंतरिक भाग। प्रस्ताव आगे यह था कि शपथ लेने के समय प्रतिवादी को पवित्र नदी गंगा का पानी अपने हाथ में रखना था। पक्षकारों ने यह नहीं माना कि अदालत के अंदर शपथ लेना पर्याप्त होगा और पीठासीन अधिकारी को मंदिर में पार्टियों के साथ जाना था। भारतीय शपथ अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जहां अदालत कक्ष के अंदर शपथ नहीं दिलाई जा सकती है, पीठासीन अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को सुझाए गए स्थान पर जाकर शपथ दिलाने के लिए एक आयोग जारी करना चाहिए। कानून के इस प्रावधान का उद्देश्य पीठासीन अधिकारी को किसी भी विवाद से दूर रखना हो सकता है कि क्या अदालत कक्ष के बाहर ली जाने वाली प्रस्तावित शपथ वास्तव में ली गई थी या नहीं। इसके अलावा, यह पाया गया कि मंदिर के अधिकारियों ने यह जानने पर संस्थान को बंद कर दिया था कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंदिर के अंदर एक शपथ ली जाने वाली है । रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वादी का मंदिर के अधिकारियों पर कोई नियंत्रण या शक्ति थी या मंदिर को बंद करने का विचार इसकी अपवित्रता या बेअदबी को रोकने के लिए नहीं था। टेम्पल एक न्यायिक व्यक्ति है जो कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं था और यदि शपथ ने इस संस्था या व्यक्ति को प्रभावित किया तो यह शपथ अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का अपमान कर सकता है। ऐसा होने के नाते, शपथ अवैध थी और मंदिर के अधिकारियों की सहमति के बिना इसे प्रशासित नहीं किया जा सकता था। इसी तरह के कारणों से, पेथैया पिल्म के मामले में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई (4). उस स्थिति में पार्टी उनके बेटे के सिर पर शपथ लेने के लिए सहमत हुई। यह शपथ 'शपथ अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत पाई गई और इस तरह इसका कोई बाध्यकारी बल नहीं है। इसके अलावा, उस विशेष प्रकार की शपथ का प्रस्ताव करने का पूरा उद्देश्य तब विफल हो सकता है जब मंदिर बंद पाया गया था और शपथ मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर ली गई थी। किसी अन्य मंदिर से प्राप्त की गई अलग मूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया था और यह नहीं था। वादी द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार। यह भी आरोप लगाया गया है कि पवित्र 'गंगा जल' के लिए साधारण पानी को प्रतिस्थापित किया गया था, जो अकेले शपथ लेने वाली पार्टी पर श्रद्धा का जादू डाल सकता था। यदि उस पक्ष के मन में यह भावना थी कि प्रतिस्थापित मूर्ति या साधारण जल ने उस पर सत्य बोलने का वही दायित्व नहीं थोपा है जो उस मूर्ति या जल में है, जिसमें पक्षकारों की आस्था थी, तो हो सकता है कि शपथ के पीछे की पूरी धार्मिक स्वीकृति अस्तित्वहीन होती।

(4)ट्रायल जज ने पाया था कि पार्टियों ने शपथ के रूप में इन भिन्नताओं पर मौके पर सहमति व्यक्त की थी। वही

मामन राम, आदि, बनाम प्रबंध समिति श्री गौशाला, जींद, आदि।

(माननीय न्यायमूर्ति *सी. जी. सूरी,)*

शपथ और इसकी स्वीकृति के लिए मूल प्रस्ताव को औपचारिक रूप से लिखित में कम कर दिया गया था। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति में कोई भिन्नता थी, तो यह वांछनीय था कि इन्हें समान औपचारिकताओं के साथ दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी ने जल्द से जल्द संभव अवसर से इनकार कर दिया था कि वे शपथ के संशोधित रूप के लिए सहमत हुए थे। किसी भी मामले में विद्वान ट्रायल जज ने बहुत जल्दबाजी में काम किया है। शपथ दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मंदिर जाना उनकी ओर से वांछनीय नहीं था। यदि उन्होंने पाया कि विशेष शपथ को प्रस्ताव के नियमों और शर्तों के अनुसार सख्ती से प्रशासित नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें शपथ के प्रशासन को स्थगित कर देना चाहिए था या, किसी भी मामले में, मामले को निपटाने से पहले वादी के आवेदन पर उचित आदेश पारित करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में, जींद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह निर्देश देने में पूरी तरह से उचित प्रतीत हो सकता है कि मामले का फैसला उचित समय पर गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है।

. j

(5)अपीलकर्ताओं के वकील श्री गोयल ने तर्क दिया कि मामन राम प्रतिवादी को प्रस्तावित शपथ लेने का एक और अवसर दिया जा सकता है। इस तरह का कोर्स पुदुसेरी वडक्केथिल विक्रमन उर्फ कुन्नीकुट्टन नायर वी में अपनाया गया था।वी. कृष्णन नायर (5) और भागवती वन्नन बनाम वीरा वन्नन (6) हालांकि, हमारे मामले में यह कोर्स संभव नहीं होगा क्योंकि मंदिर के अधिकारी इस तरह की शपथ लेने से अपनी संस्था की बेअदबी या अपवित्र होने के खिलाफ प्रतीत होते हैं। इसके अलावा, यह शपथ अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के खिलाफ है क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और वह पवित्र परिसर के अंदर ऐसी शपथ लेने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है।

(6) रिमांड के आक्षेपित आदेश से पार्टियों को कोई वास्तविक पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है क्योंकि मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जा रहा है। -

- -•

(7) अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्हें 2 अप्रैल, 1970 को आगे की कार्यवाही के लिए जींद के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।

(5) ए.आई.आर. 1953 मैड. 396.

(6) ए.आई.आर. 1935 मैड. 591.

मामन राम, आदि, बनाम प्रबंध समिति श्री गौशाला, जींद, आदि।
(माननीय न्यायमूर्ति *सी. जी. सूरी,)*

---

(5) ए.आई.आर. 1953 मैड. 396.
(6) ए.आई.आर. 1935 मैड. 591.